

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13/5/2017


ज्ञापांक-2/टी०-07/16- 4292/स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर विज्ञापन संख्या-15/2014 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित निम्नांकित सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी (मूल कोटि) के पद पर रु०-9300-34800/- (पी०बी०-2) एवं ग्रेड पे०-5400 के वेतनमान में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख संस्थान में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अनुक्रमांक	नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता	गृह जिला	कोटि	पदस्थापित स्थान
1	151180	डा० भावना कुमारी	22.12.1987	ग्राम-छतवन, थाना-केवटी, माया-रैयाम फौद्री, जिला-दरभंगा	दरभंगा	अ०पि०व० महिला	सदर अस्पताल, अररिया
2	154308	डा० सुधीर कुमार	2.08.1985	ग्राम-भेलवा, पो०+थाना-छौड़ादानो, जिला-पू० चम्पारण, बिहार, पिन-845302	पू० चम्पारण	अ०सू० जाति	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौरिया, प० चम्पारण
3.	150616	डा० अरुण कुमार अजय	1.03.1979	चाणक्या नगर, कुम्हारार, विकलांग स्कूल के नजदीक, पो० बहादुरपुर, थाना-अगमकुआँ, पटना-800026	पटना	पिछड़ी जाति	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ, वैशाली
4.	150694	डा० हरि गोविन्द प्रसाद	18.1.1975	ग्राम-नारेपुर, पो०+थाना-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय, बिहार-851111	बेगूसराय	अ०पि०व०	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौथम, खगड़िया
5.	151744	डा० तुषार	10.01.1984	ग्राम-शावाजपुर, पो०-निपाफतपुर, थाना-टेकारी, जिला-गया, पिन-824236	गया	अ०सू० जाति	रेफरल अस्पताल, मोहनपुर, राधोपुर, वैशाली
6.	151452	डा० वीरेन्द्र दर्वे	10.02.1980	ग्राम+पो०+थाना-बिहारीगंज ब्राह्मण टोला के नजदीक, जिला-मधेपुरा	मधेपुरा	अ०सू० जाति	राजकीय औषधालय, लालगंज, सुपौल

2. उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि उनके पूर्व वृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायेगी तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी ।

3. दो वर्षों के बाद नियमानुसार चिकित्सकों की सेवा सम्पुष्ट की जाएगी । इस अवधि में आकस्मिक अवकाश छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा ही स्वीकृत किया जायगा ।
4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त चिकित्सकों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
5. स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-7832(2) दिनांक-22.11.1995 के अनुसार नियुक्त चिकित्सक नियुक्ति (प्रभार ग्रहण की तिथि से) की तिथि से दस वर्षों की सेवा पूरी होने तक अथवा पैतालीस वर्षों की आयु प्राप्त करने तक कम से कम चार वर्षों के लिए (प्रशिक्षण अवधि सहित) प्रतिरक्षा सेवा में अथवा भारत वर्ष की सुरक्षा से संबंधित सेवाओं के लिए उत्तरदायी होंगे ।
6. नियुक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने आवंटित संस्थान में अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर योगदान करेंगे ।
7. लिपिकीय भूल अथवा गलत प्रमाण-पत्र (जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र) के आधार पर यदि कोई नियुक्ति होती है तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी तथा सरकार को उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
8. सभी नियुक्त चिकित्सक राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करेंगे और सभी आहूत प्रशिक्षणों में निश्चित रूप से भाग लेंगे ।
9. उक्त चिकित्सकों में से यदि कोई बिहार राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित टेन्चोर अवधि के लिए संविदा पर कार्यरत हैं तो उन्हें उसी संस्थान में नियुक्त करते हुए टेन्चोर अवधि तक के लिए पदस्थापित किया गया है । टेन्चोर अवधि समाप्ति के उपरान्त वे स्वास्थ्य विभाग में योगदान देंगे ।
10. सभी नियुक्त चिकित्सक अपने वेतन भुगतान हेतु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को प्रभार प्रतिवेदन की प्रति भेजेंगे ।
11. यदि कोई चिकित्सक उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो वे पदस्थापित संस्थान में योगदान देंगे और उसी दिन अध्ययन हेतु विरमित हो जायेंगे । अध्ययन अवधि समाप्ति के उपरान्त वे पदस्थापित स्थान पर पुनः अपना योगदान देंगे ।
12. उपरोक्त सभी चिकित्सकों के सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से संबंधित विशेष उपबंध) नियमावली-1977 की कंडिका-2 में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन संतान संबंधी विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विहित प्रपत्र में समर्पित करेंगे एवं सम्पत्ति का व्यौरा भी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जा सकता है । साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया जा सकता है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-2785 दिनांक-27.12.2005 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

429(2)
13/5/17



13. जिन चिकित्सकों द्वारा जाँच के समय विभागीय अधिकृत समिति के समक्ष आवासीय प्रमाण-पत्र एवं कोई अन्य प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया गया हों, उन्हें निदेश दिया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर वांछित प्रमाण-पत्र अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को समर्पित कर देंगे।
14. उक्त चिकित्सकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 लागू रहेगा जिसके तहत वे प्रोईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करेंगे एवं गैर व्यावसायिक भत्ता की माँग नहीं करेंगे।
15. नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी आवंटित संस्थान में नियंत्री पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे। नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदस्थापन के पूर्व वे नियुक्त चिकित्सकों के सभी प्रमाण-पत्रों की गहराई से जाँच कर लेंगे और सभी प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति रख लेंगे। चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों में यदि कोई संदेह हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरन्त दिया जायेगा।
16. आवंटित संस्थान में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. सभी नियुक्त चिकित्सक अपना योगदान एवं प्रभार ग्रहण की सूचना अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा संबंधित निदेशक/सिविल सर्जन/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(रवीन्द्र यादव)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/टी०-07/16-

429(2)

पटना, दिनांक 13/5/2017

- प्रतिलिपि :-** महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलाधिकारी/सभी क्षेत्रीय अपरनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी सिविल सर्जन/सभी निदेशक/सभी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- यह अधिसूचना विभागीय वेबसाईट-WWW.health.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।
- प्रतिलिपि :-** आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

13.5.17

13.5.17